समयबद्ध

संख्या–2214/सत्तर–3–2020–08(27)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 17 सितम्बर, 2020**

विषयः–ई–कन्टेन्ट विकसित करने के लिए स्वघोषणा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1511/सत्तर–3–2020–08(27)/2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–2 (5) में यह प्राविधान है कि ई–कन्टेन्ट को केन्द्रीयकृत ई–पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व शिक्षकों को पोर्टल पर Intellectual Property/Property Right/Copy Right प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2020 के प्रस्तर–2(5) में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त संदर्भित प्रस्तर–2(5) को विलोपित किया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी हेतु स्वघोषणा करनी होगी कि ''यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये है। आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी ओर के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे ओर इसका व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिये ही करेंगे। इस ई–कन्टेन्ट में जो जानकारी की गयी है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है।''

"The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute, disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge."

Nikhil G.O.

यह स्वघोषणा डिजिटल लाइब्रेरी के प्रथम पृष्ठ पर (होम पेज के बाद) प्रदर्शित होगी।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि इस लाइब्रेरी का उददेश्य अधिक से अधिक संख्या में ई–कंटेंट छात्रों को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिये शिक्षकों द्वारा स्वयं सभी कंटेंट विकसित किये जाने अनिवार्य नहीं हैं। शिक्षकों द्वारा अपलोड किये जा रहे कंटेंट मौलिक हों, यह आवश्यक नहीं है ओर न ही उनके स्तर से किसी IPR/originality certificate की ही आवश्यकता है। शिक्षक सामन्यतः पुस्तकों की सहायता से कक्षा में पढ़ाते हैं। उसी तर्ज पर इस लाइब्रेरी हेतु भी शिक्षक ई–कंटेंट उपलब्ध करवा सकते हैं।

- इंटरनेट पर अनेक कंटेंट पूर्व से उपलब्ध हैं, जैसे NPTEL, MOOCS अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों की वेबसाइट पर अनेक विषयों के कंटेंट उपलब्ध हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षक उक्त में से सटीक एवं उचित कंटेंट छांटकर छात्रों के हितार्थ ई लिंक डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड कर सकते हैं। ई–कंटेंट पोर्टल का उददेश्य छात्रों को इंटरनेट पर उपलब्ध ई–कंटेंट के समुद्र में से सटीक एवं सही जानकारी वाले ई–कंटेंट को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना भी है। इसीलिये शिक्षकों का दायित्व है कि वे सही जानकारी वाले ई–कंटेंट का चयन कर उनके लिंक अपलोड करें।
- एक अध्याय/टॉपिक से संबंधित कई लिंक इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे हर लिंक को अपलोड किया जा सकता है।
- यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि unauthentic sources/website के लिंक अपलोड न किये जाये।
- शिक्षक विभिन्न पुस्तकों में उपलब्ध सामग्री को रूचिकर ढंग से प्रस्तुत करते हुये अपने कंटेट डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें ध्यान रखना होगा कि plagiarism जैसे विवाद उत्पन्न न हों, अतः उन पुस्तकों का संदर्भन उल्लिखित करना शिक्षक के लिये अनिवार्य होगा। यह कंटेंट शिक्षक द्वारा तैयार किये जायेंगे, इसका मौलिक होना अनिवार्य नहीं है, इसके लिये मौलिकता/आई0पी0आर0 प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य नहीं है। शिक्षक किसी पुस्तक को आधार बनाकर कंटेंट को रूचिकर रूप में प्रदर्शित कर सकता है, इस परिस्थिति में उस पुस्तक को सन्दर्भित करना अनिवार्य होगा।
- कंटेंट की vetting एवं अनुमोदन करने वाले विभागाध्यक्ष/डीन का तथा कंटेंट अपलोड करने वाले रजिस्ट्रार का दायित्व होगा कि वह उपरोक्तानुसार संदर्भन किया जाना सुनिश्चित करें।
- यदि कोई शिक्षक स्वयं कोई कंटेंट पूर्णतः विकसित करता है और उसका IPR चाहता है, तो उसे तद्नुसार इंगित करना चाहिये।

Nikhil G.O.

4– यह अपेक्षा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षक अकादमिक सत्यनिष्ठा का पालन इस प्रकार करेंगे कि साहित्य चोरी का आरोप न लगे। ई–कन्ट्रेन्ट्स को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं कापीराईट अधिनियम का पूर्णतः पालन करते हैं तथा उक्त ई–कन्टेन्ट्स में यदि किसी विशेष पुस्तक, जर्नल इत्यादि के अंश लिये गये है, तो अनिवार्य रूप से ई–कन्टेन्ट् के अन्त में संदर्भ के रूप में इनका उल्लेख किया जाये।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2214 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.